Australian Government
Department of Home Affairs

# COVID-19 का परीक्षण और उपचार

भले ही आपके पास वीज़ा नहीं है, या आप अपने वीज़ा की स्थिति के बारे में अनिश्चित हैं, तो भी आपके लिए यह आवश्यक है कि आप जनस्वास्थ्य निर्देशों का पालन करें। यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे/रही हैं, तो चिकित्सीय सलाह लें और COVID-19 का परीक्षण करवाएँ।

राज्य और राज्य-क्षेत्रों की सरकारें निःशुल्क COVID-19 परीक्षण और उपचार उपलब्ध करा रही हैं।

- ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र
- न्यू साउथ वेल्स
- उत्तरी राज्य-क्षेत्र
- क्वींसलैंड
- दक्षिण ऑस्ट्रेलिया
- तस्मानिया
- विक्टोरिया
- पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया

# मेरे पास एक अस्थायी कुशलता अभाव वीज़ा (उपवर्ग 482) या अस्थायी कार्य (कुशलता-प्राप्त) वीज़ा (उपवर्ग 457) है

COVID-19 के कारण जिन अस्थाई कुशलता अभाव [Temporary Skill Shortage] और उपवर्ग 457 वीज़ा धारकों को स्टुड डाउन किया गया है लेकिन काम से निकाला नही गया है, उनका वीज़ा वैध रहेगा । व्यवसायों के पास सामान्य व्यवस्था के अनुसार आपके वीज़ा का विस्तार करने का अवसर होगा।

व्यवसाय आपके घंटों को कम करने में सक्षम होंगे और इससे आपके वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन नहीं होगा।

## आपकी नौकरी चली जाने की स्थिति में विकल्प

यदि आपको काम से निकाल दिया गया है और आप वर्तमान में बेरोजगार हैं, तो आपको 60 दिनों के अंदर कोई दूसरा कार्य-नियोक्ता ढूंढना होगा या आपको ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाने की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ भी यह संभव हो।

यदि आप अपने गृह-देश वापस नहीं जा सकते/सकती हैं, तो आपके लिए एक वैध वीज़ा बनाए रखना और ऑस्ट्रेलिया की स्वास्थ्य सलाह का पालन करना आवश्यक है।

ऐसे अस्थायी कार्य वीज़ा धारक, जो वर्तमान में COVID-19 से संबंधित अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्रों - स्वास्थ्य देखभाल, वृद्ध एवं विकलांगता देखभाल, चाइल्डकैअर, या कृषि एवं भोजन प्रसंस्करण के क्षेत्रों में - कार्यरत हैं, वे ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा अनुमोदित सहमति घटना वीज़ा धारा (COVID -19 महामारी घटना वीज़ा) [Australian Government Endorsed Agreement Event stream (COVID-19 Pandemic event visa)] के तहत एक अस्थायी कार्य वीज़ा (उपवर्ग 408) [Temporary Activity Visa (subclass 408)] के लिए पात्र हो सकते हैं।

## COVID-19 महामारी घटना वीज़ा [COVID-19 Pandemic Event Visa]

यदि आपका अस्थायी कार्य वीज़ा समाप्त हो रहा है, आप किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम नहीं कर रहे/रही हैं, आप प्रवेश से संबंधित प्रतिबंधों के कारण अपने गृह-देश वापिस जाने में असमर्थ हैं और किसी अन्य वीज़ा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते/सकती हैं, तो भी आप COVID-19 महामारी घटना वीज़ा [COVID-19 Pandemic event visa] के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं ।

आपको यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी कि आप किसी भी अन्य वीज़ा की आवश्यकताओं को पूरा क्यों नहीं कर सकते/सकती हैं। इसमें एक वक्तव्य और इस बारे में प्रमाण शामिल हो सकते हैं कि आपके पास वीज़ा आवेदन शुल्क (वीएसी) का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है।